

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(2)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 06/10/25

:: आदेश ::

जिला एवं सेशन न्यायालय/अपर जिला एवं सेशन न्यायालय/विशिष्ट न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता संवर्ग के ऐसे समस्त अभियोजकगण (लोक अभियोजक-एवं-राजकीय अभिभाषकगण/अपर लोक अभियोजक-एवं-राजकीय अभिभाषकगण/विशिष्ट लोक अभियोजकगण) जिनकी सेवा अवधि 01 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा जिनकी सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से अग्रिम आदेशों तक यथावत समुचित एवं प्रभावी पैरवी करते रहेंगे।

sd
(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 4 समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
- 5 समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
- 6 समस्त कोषाधिकारी।
- 7 समस्त अभियोजकगण।
- 8 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 9 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10 रक्षित पत्रावली।

J
06/10/25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि